



प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

11 SEP 2017

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : अग्रस्त, 2017
महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 387/SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 14.05.2015 व पत्र संख्या 2753/SDSUV/Affi-2015-16 दिनांक 24.03.2017 के क्रम में शासन द्वारा पत्रावली संख्या 03 (12)/2014 पर प्राप्त संस्तुति के आधार पर व पत्र संख्या 856/SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 11.07.2007 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	विद्या विकासिनी डिग्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, गुरुकुल नारसन, जिला हरिद्वार	1-बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, रसायन एवं गणित) 2-बी०एससी० (वनस्पति, जन्तु विज्ञान एवं रसायन) 3-बी०एससी० (कम्प्यूटर साइन्स) 4-बी०कॉम० (सी०एफ०ए०) 5-बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 6-बी०ए० (चित्रकला)	प्रत्येक में 80-80 सीट प्रत्येक में 120-120 सीट 60 सीट 80 सीट प्रत्येक में 80-80 सीट 40 सीट	शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं सत्र 2015-16 हेतु

- संस्थान को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्थान 06 माह के भीतर यू०जी०सी० की अर्हतानुसार फैंकल्टी के मानक पूर्ण कर मानकानुसार फैंकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करेगा। अन्यथा दी गई सम्बद्धता वापस ली जायेगी और इसका प्रभाव अग्रेत्तर सम्बद्धता पर भी पड़ेगा।
- संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा; तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधाएँ, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फैंकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक

